संख्या–2131/सेक–2–पांच–16–4(79)/2008

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2016

विषयः–प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016–17 ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–5/2016/1/3/96–का–4–2016, दिनांक 11.05.16 के अनुक्रम में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016–17 के लिए स्थानान्तरण नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

1– समस्त स्थानान्तरण 30 जून, 2016 तक किये जायेगें। प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकते हैं। स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट–आफ डेट 31.03.2016 मानी जायेगी। 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय। समूह 'ग' एवं 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति, स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाय।

2– चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण विशेषज्ञतावार किये जायेगें। जिलों में समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 06 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे समूह 'क' एवं 'ख' के जो अधिकारी मण्डल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके पति/पत्नी प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग अथवा किसी अन्य सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथा–संभव एक ही जनपद में तैनात किया जाय।

3– ऐसे विशिष्ट विशेषज्ञताधारी चिकित्सक, जिनकी शैक्षणिक योग्यता डी0एम0/एम0सी0एच0 अथवा समकक्ष है, को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा जाय। ऐसे विशिष्ट विशेषज्ञता(यथा–प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, महिला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी (टयूबेक्टामी के अतिरिक्त), चीरा–रहित पुरूष नसबन्दी विशेषज्ञ (केवल प्रशिक्षक), किटिकल केयर यूनिट एवं एनेस्थीसिया, फेको प्रशिक्षित नेत्र सर्जन, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0, कैथ–लैब, बर्न एवं ट्रामा केयर) में प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों को इन विशिष्टताओं की सुविधाओं के चिन्हित स्थानों पर ही तैनात किया जाय।

4– प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश संख्या–692/सेक–2–पांच–14–7(56)/2014, दिनांक 24.02.14 के

अनुरूप दिये गये निर्देशों के क्रम में चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को उनके प्रशिक्षण के अनुरूप ही चिकित्सा इकाईयों पर तैनात किया जाय। अपरिहार्य स्थिति मं यदि अन्यत्र तैनाती की जाती है, तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

5– प्रदेश में 20 जनपद ऐसे है, जो जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित हैं। इनमें से 09 जनपदों में आई0सी0यू0 स्थापित हैं। स्थानान्तरण इस प्रकार किये जांय कि इन 09 जनपदों में स्थापित आई0सी0यू0 को 01 निश्चेतक एवं 03 बाल रोग विशेषज्ञ की टीम से संतृप्त किया जाय। जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित 20 जिला पुरूष चिकित्सालय में कम से कम 01 बाल रोग विशेषज्ञ अवश्य तैनात किया जाय।

5(ए)– प्रदेश में कई नई चिकित्सा इकाइयां यथा–100/200/300 शैय्या चिकित्सालय, ट्रामा सेन्टर, एम0सी0एच0 विंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि निर्मित हो गये हैं जिन्हें शीघ्र क्रियाशील किया जाना है। इसी प्रकार कई चिकित्सा सुविधाएं यथा–सिक न्यूबार्न केयर यूनिट, पोषण पुनर्वास केन्द्र, प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट आदि स्थापित हुई हैं, जिन्हें भी क्रियाशील किया जाना है। ऐसी इकाइयों/सुविधाओं को जनोपयोगी बनाने/क्रियाशील करने के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार सभी समूहों के कार्मिकों को स्थानान्तरित कर तैनात किया जायेगा।

5(बी)– जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती प्राथमिकता पर की जाए जिससे सभी विधाओं के विशेषज्ञ उपलब्ध हो सके।

(6) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 300 एफ0आर0यू0 संचालित किये जाने हैं, जिनमें 24X7 के अन्तर्गत प्रसव की सुविधा दी जानी है। अतः इन एफ0आर0यू0 पर कम से कम एक गाइनकोलॉजिस्ट/ई–मॉक प्रशिक्षण प्राप्त महिला चिकित्साधिकारी तथा 01 निश्चेतक एवं 01 बाल रोग विशेषज्ञ अवश्य तैनात किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी जिला महिला चिकित्सालयों में 01 निश्चेतक, 01 बाल रोग विशेषज्ञ व 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ की टीम अवश्य तैनात की जाय। एफ0आर0यू0 पर तैनाती होने के उपरान्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो शासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

(7) स्वास्थ्य संबंधी मानकों में उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ तैनात किये जायं और स्थानान्तरण इस प्रकार किये जांय कि चिकित्साधिकारियों की संख्या यथा संभव 80 प्रतिशत से कम न हो।

(8) विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय से बाहर विद्यमान हैं, तो एक विभाग में 06 वर्ष लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

(9) प्रत्येक संवर्ग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाय।

(10) आय–व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायं, किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय–व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

(11) लेवल–1 के चिकित्साधिकारियों एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्तर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(12) दिनांक 30.06.16 के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।

(13) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण–पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।

(14) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा तथा समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।

(15) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हो, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जाय। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(16) सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जांय। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

(17) स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध विचार किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

(18) **स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जानाः–**

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाय, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :– 2131 (1)/सेक–2–पांच–16, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(प्रशिक्षण), उ0प्र0, लखनऊ।
3– निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0।
5– निदेशक, एस0पी0एम0 सिविल चिकित्सालय/बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 आर0एम0एल0 संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर/ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती/मानसिक रोग चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।
6– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8– समस्त प्रमुख अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
10– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला(पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ0प्र0।
11– चिकित्सा अनुभाग–1/3/4/5/6/7/8/9/10।
12– गार्ड बुक।

आज्ञा से

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।